

# फर्द अहकाम

(नियम - 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत

सहायक जज

मुकाम

डीसाण

इसमें देवी

श्रीमती विष्णुप्रकाश

वनाम

वानी देवी

वधु


अनुवाद

किस्त मुकदमा

नाम नं. 53, 08, 188 147

सं.

368 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>26/07/22</p> <p>अस्य यह बाब वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अ. / धारा 53, 08, 188 में पेश किया दर्ज हो प्रतिवादीगण को उत्तर दे ज्ञाती हो। मिसल दिनांक: 27/07/22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक फलक्टर डीडवाना</p> <p>27/07/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दूर पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 08/07/22 को पेश हो।</p> <p>8/12/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 27/12/23 को पेश हो।</p> <p>7/2/23</p> <p>पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 23/2/23 को पेश हो।</p> <p>25/4/23</p> <p>पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 22/3/23 को पेश हो।</p> <p>27/3/23</p> <p>वक्रणाम डपो पत्रावली वास्तु एहिकारी बाग के सम्बन्ध में पेश होने पर पत्रावली दिनांक 18/5/23 को पेश हो।</p>	

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/6/23

कर्मचारीयों के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 18/8/23 को पेश हो।

18/8/23

पत्रावली पेश हुई। न.स. सा. अवकाश, अन्य कार्य। बार पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 21/11/23 को पेश हो।

07/11/23

पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखे हैं, मिसल दिनांक 31/01/24 को पेश हो।

31/11/23 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 30/4/24 को पेश हो।

30/4/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे हैं। मिसल दिनांक 30/7/24 को पेश हो।

30/7/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं। पत्रावली दिनांक 18/10/24 को पेश हो।

19/10/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं। पत्रावली दिनांक 29/11/24 को पेश हो।

29/11/24

9th Layer Application

बार-बार भावने लगाते रहें। बावजूद आजकल लागते हैं वारीयों व अधिकार अधिकारता हासिल नहीं होने से पत्रावली अदालत हासिल नहीं करवाते हैं वारीयों की जांच पत्रावली के फल से बार को नुकसान हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

